

तारीख द्वारा	द्वयम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम अद द्वय तारीख द्वारा
18-1-18	वकुलाय फायनेस हापिल आगामी मात 13 एटा गैरेम पव्वाटेर 3 ए ई मिलल तारीख 29-1-18 को पेश हो	3-18
29-1-18	वकुलाय फायनेस हापिल प्राप्ती खपती 13, 14, 15, 16 व 19 के तलवी केन आण ही नोटेस तामात पेश करे पेश होने पा बिध के तलवी ले राफि अपि जारी हो। अखाइ निषेधाज्ञा अपाधि आगामी पेशी तारीख 7-2-18 तक बहापी जाती है मिलल तारीख 7-2-18 को पेश हो	
7-2-18	वकुलाय फायनेस हापिल पूरे डाडेसिआ माफिक आगामी के तलवी हेतु पालन करे। अखाइ निषेधाज्ञा के अपधि आगामी पेशी तारीख 26/2/18 तक बहापी जाती है मिलल निषेध तारीख 26-2-18 को पेश हो	
26/2/18	वकुलाय फायनेस हापिल पूरे डाडेसिआ माफिक पालन हो। अखाइ निषेधाज्ञा अपाधि पेशी तारीख 12/3/18 तक बहापी जाती है मिलल तारीख 12-3-18 को पेश हो	
12-3-18	वकुलाय फायनेस हापिल प्राप्ती अपाधि वहा उपस्थित जिराने अखाइ निषेधाज्ञा बहाने अखाइ की करे। अखाइ निषेधाज्ञा अपाधि आगामी पेशी तारीख 14-3-18 तक बहापी जाती है। मिलल तारीख 14-3-18 को पेश हो	

रहायक कलेक्टर, जसवन्तपुर
 जिला-जालोर (राज.)

किस्म मुकदमा

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख अहमकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

14.3.18 वक्तुलाय पथीके हाजिर।
 पडाकारान अधीकता हाजिर मागले
 से बरह देर इल्लुमा की गई।
 पडाकारान अधीकता को सुना गया
 उकरण का अनुलोचन किया गया
 उर्थे द्वारा पार्थना पत्र फेरुकर
 अख्यायी निषेधाज्ञा जारी गई।
 वादग्रस्त भाशजी सयुक्त खातेदारी
 की है जिसका एक वाद मिश्राजन
 कलाने का न्यायलय हाजा में
 कियासकी है जो साक्ष्य जन कीयात
 दस्तावेज उमाण के आधार पर
 विधि सम्मन विनिय पारित हो
 सकेगा ऐसी स्थिति में मूल
 वाद ताफैसल दोनो पडाकारान
 माके की यथा स्थिति बनायी
 रखा जाना न्यायेचित प्रतीत होता है।
 अतः अख्यायी निषेधाज्ञा इस उभर
 की जारी की जाती है कि दोनो
 पडाकार माके की यथा स्थिति
 ताफैसल मूल वाद के निस्तारण
 तक बनायी रहे। मिसल फसल
 शुमार होकर नम्बर से कम ली 84

14/3/18
 सहायक कलेक्टर, जसदन्पुर
 जिला-जालोर (राज.)